बिहार विधान-सभा वादवृत

बृहस्पतिवार तिथि २१ सितम्बर, १९७२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २१ सितम्बर, १९७२ को पूर्वाह्न ९ बजे उपाध्यक्ष, श्री शकूर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर प्रश्नों के लिखित उत्तरों का रखा जाना :

श्री दारोगा प्रसाद राय—महोदय, मैं षष्ठ विधान-सभा, १९७२ के अनागत, अल्पसूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ के परन्तुक के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूँ। (*)

पाद टिप्पणी (*) उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखें।

(४) पक्कीकरण के बाद १९६६-६७ से १९७१-७२ तक इस सड़क के संरक्षण एवं मरम्मती में मो० १,५१,१०७ रु० खर्च किये गये हैं।

(५) गत वित्तिय वर्ष में इस सड़क के संसरक्षणार्थ मो० ३४,४७६ रु० खर्च किये गये हैं। इस सड़क की मरम्मती के लिए जिला बोर्ड द्वारा (१,१७ १४५+३,९२,०००) ४,०९,१४५ रु० की स्वीकृति प्रदान की गई है और तदनुसार सड़क की मरम्मती कराने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रोन्नति के सम्बन्ध में

७-९। श्री कुमार कालिका सिंह—क्या मंत्री, कृषि (लघु सिंचाई) विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि अगस्त, १९७० में कृषि (लघु सिंचाई) विभाग ने २१ (इक्कीस) डिस्ट्रिक्ट इन्जीनियरिंग सुपरवाइजरों और बोरिंग सुपरवाइजरों को सहायक अभियंता के पदों पर प्रोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग को अपनी अनुशंसा भेजी थी;

(२) क्या यह बात सही है कि लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में विभाग से कुछ मूल बिन्दुओं पर पृच्छा की है जिसका समुचित उत्तर देने में विभाग अपने को असमर्थ पा रहा है और आज तक चुप्पी साधे बैठा है;

(३) क्या यह बात सही है कि लोक सेवा आयोग की आपत्ति के बावजूद विभाग ने ७ (सात) और जिला अभियंत्रण पर्यवेक्षकों एवं बेल बोरिंग सुपरवाइजरों को अधिदर्शक अवर प्रमण्डल पदाधिकारी के पदों पर स्थानापन्न प्रोन्नति दी है जबकि उनमें से एक व्यक्ति भी कभी भी अधिदर्शक के पद पर पदस्थापित नहीं रहा है;

(४) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार अपने स्पष्ट आदेशों के अनुरूप कृषि (लघु सिंचाई) विभाग में भी सहायक अभियंता के रिक्त पदों को तकनीकी सहायकों अभियन्ता

सहायकों एवं अधिदर्शकों ही को निर्धारित आनुपातिक अंश में प्रोन्नति द्वारा भरेगा; यदि हां, तो कब तक ?

प्रभारी मंत्री, लघु सिंचाई विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है। लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी पृच्छा के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित की जा रही है। पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर लोक सेवा आयोग के पृच्छा का उत्तर दे दिया जायगा।

(३) एवं (४) लोक सेवा आयोग द्वारा जिला अभियंत्रण पर्यवेक्षक एवं नलकूप पर्यवेक्षकों को अनुमण्डल के प्रभार में रखने के प्रश्न पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है, जिस तिथि को लोक सेवा आयोग द्वारा खण्ड (२) में वर्णित प्रस्ताव पर पृच्छा की गयी है उसके बाद से ६ नलकूप पर्यवेक्षकों और एक जिला अभियंत्रण पर्यवेक्षक को अनुमंडल का प्रभार सौंपा गया है। यह पद अधिदर्शक के समकक्ष ही है। अब तक ६ तकनीकी सहायकों को भी अनुमण्डल का प्रभार देने का आदेश दिया जा चुका है एवं अन्य तकनीकी सहायकों, अभियन्ता सहायकों एवं अधिदर्शकों को भी अनुमंडल का प्रभार सौंपने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

शिकायत पुस्तिका

घ-२। श्री रामदेव शर्मा—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि राज्य ट्रांसपोर्ट के मुजफ्फरपुर डिपो में शिकायत पुस्तिका रखने की व्यवस्था नहीं की गयी है;

(२) क्या वहां इस तरह की कोई पुस्तिका है; यदि हां, तो कितनी और क्या उन्हें डिविजनल मैनेजर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है;

(३) १९७१ के १ली अप्रैल से ३१ मार्च १९७२ तक कितनी शिकायतें हुईं और कितने पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है;